(8)

संख्या– 3141 / टी.एस.पी. / III–2/05–43(प्रा.आ.)/

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 22 नवम्बर, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में टी.एस.पी.योजना के अर्न्तगत 49 (उन्चास) कार्यों क
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 49 का के रूपये 3382.40 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनरा रूपये 3301.67 लाख (रूपये तैंतीस करोड़ एक लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हे प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 22.90 हजार (रू0 बाईस ला नव्वे हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखि शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्ष अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही जाय, तथा भूमि का भुगतान नियंमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चि कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधि स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभ द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पा जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण न करके धनराशि शासन को सर्मपित कर दी जायेगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी/आदे के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्ये कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक– 31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान सं0–31–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–796– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना–01– नया नर्माण कार्य–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–1806 /XXVII/(2)/2006 दिनांक 17 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– 49 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 3141 (1)/III–2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, पौडी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू/गढवाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोडा/पौडी ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्र. खण्ड लो. नि. वि.
... (कालसी)

214-Co-2006-07

शासनादेश संख्या– /III(2)/06– 43(प्रा.आ.)/06 दिनांक नवम्बर,2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2006–07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	रा0राजमार्ग 72 से आदूवाला–धर्मावाला कुंजारोड तक सी.सी. मार्ग का निर्माण	1.00	39.06	37.56	0.50
2.	रा0राजमार्ग 72 से कुंजाग्रान्ट रोड को जोडने वाले शमशासन घाट तक सी.सी. मार्ग का निर्माण	1.00	39.06	37.56	0.50
3.	रा0राजमार्ग 72 से कुंजागांव में धर्मावाला कुंजारोड तक सी.सी. मार्ग का निर्माण	1.50	56.60	54.42	0.50
4.	गौराघाटी से मानथात होते हुए लावड़ी तक ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन(12.50 किमी0) एवं विस्तार (3.00 किमी0) तथा सम्पूर्ण लम्बाई में डामरीकरण	15.50	320.59	320.00	0.50
5.	कोरवा से क्वारना होते हुए मंगारोली तक ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन/विस्तार/2 सेतुओं का निर्माण	9.50	140.60	131.00	0.50
6.	मोरी–त्यूनी मोटर मार्ग के किमी0 12.00 में खूनीगाड खड्ड पर 30 मी0 स्पान के डेढ लेन (5.50 मी0) स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	30 मी0	73.83	69.00	0.50
7.	क्वांसी कोटा मोटर मार्ग का डामरीकरण	27.50	390.50	390.50	0.50
8.	कालसी बैराटखाई मोटर मार्ग से पुरानी खतार से ग्राम बाइथा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.50	24.30	24.30	0.50
9.	कालसी बैराटखाई मोटर मार्ग के किमी0 14 से खतार ग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.50	24.30	24.30	0.50
10.	सहिया डामटा मोटर मार्ग के किमी0 10 से कटपोडिया छानी समोदा छानी घटकुना छानी कोलवुना रमचोरा छानी होते हुए इच्छला फटेऊ मार्ग के फटेऊ बैण्ड तक मार्ग का निर्माण	4.00	64.80	64.80	0.50
11.	पाटा बैण्ड से इच्छला फटेउ से माकटी मोटर मार्ग से ग्राम इच्छला तक सम्पर्क मार्ग	0.10	1.62	1.62	0.10
12.	कालसी बैराटखाई वाडो मोटर मार्ग से वाडो डावरा अटारू छानी खेडा छानी से क्यारी कचटा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	8.00	129.60	129.60	0.50
13.	सबमरजैंस मोटर मार्ग के चिचराड गांव तक सडक का निर्माण	1.00	16.20	16.20	0.50
14.	नागथात विसोई मोटर मार्ग को मुंशी ग्राम तक सबमरजैंस रोड से मिलाने हेतु नये मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	97.20	97.20	0.50
15.	नागथात विसोई मोटर मार्ग को क्वांसा तक बढाकर सिल्ला गांव होते हुए सबमरजैंस रोड तक	5.00	81.00	81.00	0.50
16.	कालसी बैराटखाई मोटर मार्ग के किमिटालनी से मथेयु ग्राम तक मोटर मार्ग	1.50	24.30	24.30	0.50

217-C-2006-07

Photocopy

(इं0 वी0पी0 भट्ट)
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया जिला देहरादून

17.	हमरऊ मोटर मार्ग से गोथान तक मार्ग निर्माण	2.00	32.40	32.40	0.50
18.	पानुवां, मसराड, वडनू मोटर मार्ग का निर्माण	12.00	194.40	194.00	0.50
19.	दातनु वडनू मोटर मार्ग पर वराड से सिलाया छानी चिल्हाड धार होते हुए डामटा मोटर मार्ग निर्माण	4.00	64.80	64.80	0.50
20.	कालसी चकराता मार्ग से कोटी रोड तक 2 किमी0 जंगलात मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा निर्माण	2.00	32.40	32.40	0.50
21.	डयूडीलानी से वडेत पिनगरी डांड की छानी होते हुए गास्की तक मार्ग निर्माण	7.00	113.40	113.40	0.50
22.	चुनउ ग्राम के लिए गोई चनाग से सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण	7.00	113.40	113.40	0.50
23.	सबमरजैंस मोटर मार्ग से खुन्ना गांव तक सडक निर्माण	0.50	8.10	8.10	0.20
24.	सवमरजैंस मोटर मार्ग से ग्राम खुन्ना–अलमान तक सड़क निर्माण	0.50	8.10	8.10	0.20
25.	सबमरजैंस मोटर मार्ग से ग्राम लोहारना तक संपर्क मार्ग	1.50	24.30	24.30	0.50
26.	सबमरजैंस मोटर मार्ग से मुंशी गांव तक संपर्क मार्ग	2.00	32.40	32.40	0.50
27.	सबमरजैंस मोटर मार्ग से ग्राम लोहारी तक संपर्क मार्ग	2.00	32.40	32.40	0.50
28.	मसूरी–चकराता मोटर मार्ग से ग्राम खाडी तक सड़क निर्माण	1.00	16.20	16.20	0.50
29.	मसूरी चकराता मार्ग से लोहन ग्राम तक मोटर मार्ग	1.00	16.20	16.20	0.50
30.	मसूरी–चकराता मोटर मार्ग से नागथात बाजार तक सड़क निर्माण	2.00	32.40	32.40	0.50
31.	नागथात लाच्छा मार्ग से दुइना तक सडक का निर्माण	0.50	8.10	8.10	0.20
32.	सबमरजैंस मोटर मार्ग से धिरोई गांव तक सडक निर्माण	1.00	16.20	16.20	0.50
33.	मसूरी चकराता मार्ग से लखवाड लिंक रोड को एन एच. 123 तक	6.00	97.20	97.20	0.50
34.	जैन्देउ–बाडो मोटर मार्ग के पक्कीकरण का कार्य	4.00	56.80	56.80	0.50
35.	कालसी तहसील के अन्तर्गत लखस्यार से मुयारी छानी तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.50
36.	वरोटीवाला अम्बाडी रोड से मेहुवाला खालसा प्रा0 स्कूल मस्जिद जू0हा0 चेतना क्लब होते हुए सिचाई विभाग अम्बाडी के कार्यालय तक मोटर मार्ग निर्माण	1.80	25.56	25.56	0.50
37.	अस्ट्राड डकियाराना मंगरोली मोटर मार्ग का निर्माण किमी0 15.275 से किमी0 23 तक	7.725	125.15	125.15	0.50
38.	आरा–अष्टी ह0वा0 मार्ग (फेडलानी मलेथा मार्ग के किमी0 2 से) को मोटर मार्ग में परिवर्तन (मा0मु0मं0घो0)		63.05	50.00	0.50
39.	बाडवाला–डुमेट (अम्बेडकर ग्राम) हडोवाला–चीलियों मार्ग का सुदृढीकरण/पक्कीकरण	3.50	71.42	71.40	0.50

Photocopy Attested

(इं0 वी0डी0 भट्ट)
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
साहिया जिला–देहरादून